

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

// निविदा सूचना //

क. 1172 / निविदा / लोक-11 / 2017-18

राजनांदगांव दिनांक 06/10/2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केन्द्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी (द एव अपर श्रेणी) में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग में लागू (भवन/रोड एस.ओ.आर. 01.01.2015 अद्यतन तथा संशोधन सहित /आयटम) दर के आधार पर फार्म "ए" मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट / कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेशित कर सकेंगे।

- |   |                                    |                                |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 27 / 10 / 2017 भाम 5.00 बजे तक |
| 2 | प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि     | 30 / 10 / 2017 भाम 5.00 बजे तक |
- कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि रूपये लाख में	अमानती राशि (रूपये में)	निविदा फार्म	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)	समया वधि माह
1	2	3	4	5	6	7
1	कलेक्टर कार्यालय केन्टीन के पास स्लेब एवं अन्य निर्माण कार्य	4.90	5000.00	ए	750.00	02
2	कलेक्टर कार्यालय केन्टीन के पास नाली, प्लेट फार्म एवं अन्य निर्माण कार्य	2.60	3000.00	ए	750.00	01

1. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
2. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। काट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेंगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित भाखा में प्रस्तुत करना होगा।
3. दरें अंको एवं 'शब्दों' में स्पष्ट अंकित करना होगा। काट छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेंगे।
4. नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/ प्राप्त की जा सकती है।

5. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयको से की जावेगी ।
6. छ.ग.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-190/18/05 रायपुर दिनांक 19.01.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 90 प्रतिशत के अंतर की राशि समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. सफल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटो ग्राप्स, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य की स्थिति संबंधी फोटो ग्राप्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें वार्ड क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित हो।
8. उक्त कार्य के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र एवं किये कार्य का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करना होगा।
9. आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं, तो निविदा कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगे। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं किये जायेंगे।
10. छत्तीसगढ़ भासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि/चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राजय में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
11. सफल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
13. सफल निविदाकार को उपरोक्त भातों के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य होगा किसी भी 'शर्तों के उल्लघन पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि निगम कोश में राजसात कर ली जावेगी।
14. जी.एस.टी. के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निविदा में लागू होगी।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

*Bhms*  
06/10/17  
आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव  
राजनांदगांव दिनांक 06/10/2017

पृ.क्र. 1163 / निविदा / लोक-11 / 2017-18  
प्रतिलिपि:-

1. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ
2. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ
3. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
4. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
5. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईड में अपलोड किये जाने बाबत।
6. कार्यालय ----- नोटिस बोर्ड चक्रा

*Bhms*  
06/10/17  
आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव